न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 173/2025 बउनवानी प्यार सिंह गुर्जर बनाम उपजिला कलेक्टर बौंली
निवासी गोतोड तहसील बौंली

GCMS No-2025/ 325 **Appeal Number- 321316121386536**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24.09.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"ग्राम गोतोड में भोजा वाली तलाई के पानी की निकासी करवाने हेतू सूचना "*** उपजिला कलेक्टर बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक प.11(1)आरटीआई/अंतरित/2025/3902 दिनांक 16.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली को लिखा जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही (पानी निकासी बावत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आवेदक द्वारा बताई गई जगह से वर्तमान में पानी निकासी की कोई आवश्यकता नहीं है।) किया जाना अपेक्षित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.09.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना सें संबधित दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण अपीलांट को सूचना दिया जाना आवश्यक नही है। जिसके संबंध में उप जिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 3903 दिनांक 16.12.2025 द्वारा अपीलांट को विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली के पत्रांक 633 दिनांक 15.12.2025 की प्रति भिजवाते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner